मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झांसी

प्रकीर्ण वाद संख्या 67/2020 (एम.ए.सी.पी.सं. 82/2017)
श्रीमती कमला आदि बनाम शाखा प्रबन्धक सिंडीकेट बैंक गोबिन्द चौराहा, झांसी
11.06.2020

आज यह प्रकीर्ण वाद दर्ज रजिस्टर होकर प्रस्तुत हुआ। प्रार्थीगण/याचीगण मय विद्वान् अधिवक्ता उपस्थित आये।

3B प्रार्थनापत्र जिसे शपथपत्र प्रपत्र संख्या 4C2 से समर्थित किया गया है, में प्रार्थीगण/ याचीगण ने प्रार्थना की है कि मूल याचिका दिनांक 23.04.2018 को निर्णीत हो चुकी है, जिसमें न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा मुबलिग 9,38,128/– रुपये की धनराशि न्यायाधिकरण में जमा करा दी गयी थी। प्रार्थीगण का यह भी कथन है कि न्यायाधिकरण के आदेशानुसार प्रार्थी सं. 1 के नाम मुब. 3,00,000/– रूपये की एफ.डी.आर. सं. SBO 374432, प्रार्थी सं. 2 के नाम मुब. 50,000/– रुपये की एफ.डी.आर. सं. SBO 374430 व प्रार्थी सं. 3 के नाम मुब. 30,000/– रुपये की एफ.डी.आर. सं. SBO 374434 बनायी गयी थी, जिनकी परिपक्वता अवधि 10.07.2021 है। प्रार्थीगण का कथन है कि उन्हें प्रार्थी सं. 3 निधि गुप्ता की शादी के लिये रुपयों की आवश्यकता है अतः उक्त प्रार्थी सं.1 व 2 ने क्रमशः अपनी नातिन व पुत्री के विवाह हेतु व स्वयं प्रार्थिया सं. 3 निधि गुप्ता ने अपनी शादी हेतु उक्त एफ.डी.आर. की उक्त धनराशियों को उनकी परिपक्वता की अवधि से पूर्व उनके पक्ष में अवमुक्त किये जाने की याचना की है।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं के शपथपत्र, शादी का कार्ड व उक्त कथित एफ.डी.आर. एवं स्वयं के आधार कार्ड, पास बुक की छाया प्रतियां व न्यायाधिकरण द्वारा एम.ए.सी.पी. सं. 82/2017 में पारित निर्णय दिनांकित 23.04.2018 की सत्य प्रतिलिपि दाखिल की है। यद्यपि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों का समर्थन अपने –अपने शपथपत्रों में किया है किन्तु प्रार्थीगण के हित में न्यायाधिकरण यह उचित समझाता है कि प्रार्थी सं. 1 श्रीमती कमला के नाम जारी एफ.डी.आर. सं. SBO 374432 मुब. 3,00000/– रुपये मय ब्याज की धनराशि में से 3,00000/– (तीन लाख) रुपये की धनराशि प्रार्थिया/याचिया श्रीमती कमला के सिंडीकेट बैंक के खाता सं. 92352010001307 शाखा गोबिन्द चौराहा, झाँसी में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से तुरन्त स्थानान्तरित की जाये तथा उक्त एफ.डी.आर. की शेष धनराशि की पुनः एफ.डी.आर. प्रार्थिया श्रीमती कमला के नाम अग्रिम तीन वर्ष की अवधि के लिये बनाई जाकर प्रार्थिया श्रीमती कमला को प्रदान की जाय एवम् उक्तानुसार धनराशि स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आख्या न्यायाधिकरण में दाखिल की जावे। 3C2 प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ.एम.ए.सी.टी., झांसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.06.11 12:08:13 UTC
Reason: Document Owner
Location: MACT JHANSI